

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ० राजेन्द्रसिंह भाटी बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर )  सू.अ.अ. अपील संख्या 14 / 2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>27.01.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ० राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र फतेहसिंह पता भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदार शहर, जिला चूरु ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.11.2019 में उसके द्वारा (1) वर्ष 2018-19 में कुल कितने पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.01.19 से लेकर दिनांक 25.11.19 तक पेट्रोलियम अधिनियम, 2002 की धारा 144 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये का सम्पूर्ण रिकॉर्ड व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	